**SHODH SAMAGAM**

**ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)**

# पीएम–किसान सम्मान निधि योजना:किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक

**ज्योतिष कुमार चंद्रवंशी,** शोधार्थी, **अजय कुमार सिंह,** Ph.D., शोध निर्देशक, अर्थशास्त्र विभाग
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार, भारत

**ORIGINAL ARTICLE**

**Authors**
**ज्योतिष कुमार चंद्रवंशी,** शोधार्थी
**अजय कुमार सिंह,** Ph.D., शोध निर्देशक

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 26/12/2023
Revised on : -----
Accepted on : 27/02/2024
Overall Similarity : 00% on 19/02/2024

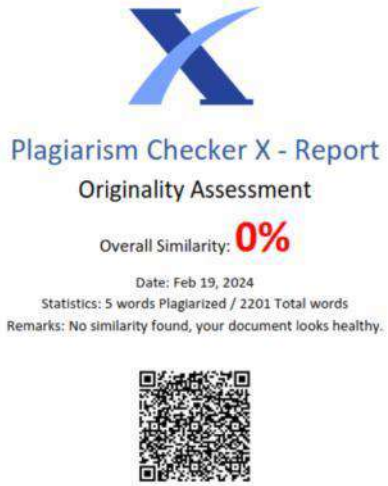


## शोध सार

*कृषि क्षेत्र में बढ़ते आर्थिक संकट एवं चुनौतियों को ध्यान में रखकर तथा छोटे एवं सीमान्त किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों को पुरा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई है और नीतिगत स्तर पर भी काफी सुधार हुए हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान लघु एवं सीमान्त किसानों की आर्थिक संकट को कम करने एवं उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम–किसान) की शुरूआत की गई है, जिसके अतंर्गत प्रतिवर्ष 6000 रूपये का वित्तीय लाभ डीबीटी के माध्यम से तीन किस्तो में 2000 रूपये की दर से किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा रहा है। आर्थिक समीक्षा 2022–2023 के मुताबिक केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 3 साल से अधिक समय के दौरान जरूरतमंद किसानों को 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक की सहायता दी गई है। इस योजना का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है एवं किसानों के आय के स्त्रोतों में विविधता आई है, जिससे मौसम से हुए नुकसान के प्रति उनकी सहनशीलता में सुधार हुआ है। इसके अलावा, यह योजना छोटे एवं सीमांत किसानों के कृषि आदानों और उनके दैनिक उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए धन की आवश्यकता को पुरा करने में मदद कर रही है।*

## मुख्य शब्द

*हरित क्रांति, आजीविका, कंटिकाकार्ण, सहिष्णुता, परिपेक्ष्य, भू–स्वामित्व.*

## प्रस्तावना

भारत गाँवों एवं किसानों का देश है। खेती और किसान की दशा ही भारत की दशा है, पर यह खेद की बात है कि भारत में किसान की जैसी सोचनीय दशा है,

वैसा किसी और का नहीं। किसान अपने खेत में दिन–रात मेंहनत करता है। वह किसी पौधे के बीज से लेकर उस पौधे के बड़े होने तक इंतजार करता है। उससे अन्न प्राप्त कर हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। अशिक्षा एवं गरीबी के कारण आज भी भारतीय किसान का शोषण जारी है। राजनेता सिर्फ चुनाव के दिनों में आते हैं एवं किसानों को झुठे सपनें दिखाकर वोट ले कर चले जाते हैं। अगला चुनाव आने के बाद भी किसानों की समस्याओं में कोई कमी नहीं होती है। पुलिस, पटवारी, मुखिया, एवं राजनेता जोंक की भाँति इनका रक्त चुस रहे हैं। किसानों के परिश्रम के फल को बिचौलिए एवं दलाल चट कर जा रहे हैं। वे किसानों के खेत से ही औने–पौने दाम पर फसल खरीदकर व्यपाारियों एवं कारखानों को अधिक दाम पर बेचकर लाभ कमा रहे हैं। किसान का जीवन योगीवत त्याग, तपस्या, एवं सहिष्णुता की त्रिवेणी से कम नहीं है। हमारे जीवन में किसान का योगदान किसी ईश्वर से कम नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतीय किसान की दशा संतोषजनक नहीं है यह तो नहीं कहा जा सकता कि सुधार हुआ नहीं किन्तु सुधार जितना होना चाहिए था हुआ नहीं।

किसानों के लिए प्रस्तुत चार पंक्तियां:

जिसके खेतों से उगता है, अन्न जीवनाधार।
जिसके त्याग तपस्या से हो, जनगण का उद्धार।।

जिसके श्रम से पलते है सब, बालक वृद्ध जवान।
सबका वन्दनीय है जग में, निर्धन नग्न किसान।।

स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषि की दशा अत्यन्त खराब थी एवं किसानों की दशा अत्यन्त दयनीय थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र क्षेत्र जैसे–कृषि उद्योग, संसाधन आदि का अत्यधिक दुरूपयोग हुआ। समय–समय पर इसके विरोध में कई किसान आन्दोलन भी हुए जैसे–चम्पारण आन्दोलन(बिहार), बारदोली आन्दोलन(गुजरात) आदि। 1947 में भारत को आजाद होने के उपरान्त देश के समक्ष कृषि एवं किसानों से संबंधित अनेक समस्यायें जैसे–भूमि सुधार संबंधी, वित्त संबंधी, उत्पाद संबंधी, खाद–बीज संबंधी त तकनीकी साधनों के अभाव संबंधी आदि चुनौती देने लगी। इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारतीय नवनिर्मित सरकार ने 1950 में योजना आयोग का गठन कर इन सभी समस्याओं से निपटने व समग्र विकास को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्य करना शुरू किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में समुदायिक विकास कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना 1960–61 में गहन कृषि विकास कार्यक्रम (आई.ए.डी.पी.) एवं 1964–65 में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम (आई.ए.ए.पी.) तथा कृषि को उन्नत बनाने के लिए 1967 में हरित क्रांति का नारा दिया गया। हालांकि हरित क्रांति एवं किसानों पर पड़ा लेकिन देश के कुछ ऐसे हिस्सों तक ही सीमित रहा जहाँ पहले से ही कृषि का काफी अधिक विकास हो चुका था।

भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम प्रधान होने के कारण कृषि यहां के लोगों का आजीविका का मुख्य साधन है। कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा असंगठित व्यवसाय है। भारत मे अधिकांश उद्योग भी कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था कि जीवनरेखा या रीढ़ है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। भारत से कृषि एवं संबंद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा है। 2021–22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक बना हुआ है। कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के महत्व को देखते हुए रोजगार भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं, जिनका उद्धेश्य किसानों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियों के साथ–साथ घरेलु जरूरतों के खर्च को वहन करने में सक्षम बनाना एवं उनकी आय को दोगुना करना है।

## प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम–किसान)

कृषि क्षेत्र में बढ़ते आर्थिक संकट एवं चुनौतियों को ध्यान में रखकर तथा छोटे एवं सीमान्त किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता के साथ पीएम–किसान योजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपूर से शुरू की गई । भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखी थी। हालाँकि, वर्त्तमान में इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। वर्ष 2015–16 में हुई कृषि गणना के आधार पर वर्ष 2018–19 में लघु एवं सीमांत किसान परिवारों का अनुमान किया गया जिसकी अनुमानित संख्या 13–15 करोड़ थी। उच्च आर्थिक आय वर्ग के किसान परिवारों के संभावित पात्रता श्रेणी से बाहर होने के परिपेक्ष्य में पात्र किसानों की संख्या 12.5 करोड़ आँकी गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं:

- यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है एवं इसकी शुरूआत 24 फरवरी 2019 को हुई है।
- इस योजना में परिवार की परिभाषा पति, पत्नी एवं नाबालिक बच्चे हैं।
- इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को 6000 रूपये की आय सहायता प्रतिवर्ष 2000 रूपये के तीन किस्तों में दी जाती है।
- फंड सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
- राज्य सरकारें पात्र किसानों की पहचान कर केन्द्र सरकार को सौपने के लिए जिम्मेदार है।
- आरंभ में यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही शुरू की गई थी, किन्तु 31 मई 2019 को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के उपरान्त 2 हेक्टेयर तक के जोत वाले सभी किसानों हेतू लागू कर दी गई।
- पश्चिम बंगाल सरकार एवं केन्द्र सरकार के बीच गतिरोध की वजह से राज्य सरकार ने किसानों की डाटा केन्द्र को नहीं भेजी, जिससे वहाँ के किसानों को 7 किस्तों के रूप् में 14000 रूपये का लाभ नहीं मिला। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को किसानों की डाटा उपलब्ध कराने के उपरान्त 8वीं किस्त के समय पश्चिम बंगाल के किसानों को पहली किस्त मिली।

## योजना अपवर्जन मानदण्ड

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च आर्थिक स्तर के निम्नलिखित वर्ग लाभ के पात्र नहीं हैं:

1. सभी संस्थागत भूमि धारक।
2. किसान परिवार जिनके 1 अथवा अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों के हों।
   - संवैधानिक पदो के पूर्व व वर्तमान धारक।
   - पूर्व व वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री।
   - लोकसभा/राज्यसभा/विधान सभाओं/ विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य।
   - नगर निगमों के पूर्व व वर्त्तमान महापौर।
   - जिला पंचायतों के पर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
   - केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी फिल्ड इकाइयों, केन्द्रीय अथवा राज्य पीएसई और सरकार के अन्तर्गत संबंध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी /समुह घ के कर्मचारियों को छोड़कर)।
   - अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले किसान।
   - डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकांउंटेंट जैसे व्यवसायिक और व्यवसायिक निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट और प्रैक्टिस करने वाले व्यवसायिक किसान।

## पीएम किसान योजना के कार्यान्वयन का कार्यतंत्र

योजना के कार्यान्वयन हेतू कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक परियोजना प्रबंधन केन्द्र स्थापित किया गया है एवं इसकी समीक्षा एवं निगरानी के लिए सदस्यों के रूप में आर्थिक मामलों, कृषि, भूमि संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिवों सहित मंत्रीमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा समिति गठित की गई है।

- राज्य अपने गांवों में पात्र किसाान परिवारों का डाटाबेस तैयार करता है जिसमें लाभार्थियों के नाम, आयु, लिंग, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल नंबर शामिल है। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारें यह सुनिश्चित कर रही है की पात्र किसान परिवारों को दुबारा भुगतान न हो साथ–ही–साथ अपात्र किसानों का भी पहचान किया जा रहा है।
- जिन अपात्र किसानों का पहले पहचान नहीं किया जा सका एवं वे कई किस्तों को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें सभी किस्तों की राशि कृषि निदेशक की खाता संख्या (40903138328) आई.एफ.सी. कोड (एस.बी.आई.एन. 0006379) में वापस करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इस योजना के तहत लाभूकों को ई–केवाईसी करवाना अनिवार्य है अन्यथा इस योजना के लाभ से वे वंचित रह जाएंगें। ई–केवाईसी लाभुक स्वंय पीएम–किसान पोर्टल से अपना आधार नंबर एवं आधार से जुड़े मोबाइल नबंर से ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं या फिर नजदीकी सीएससी/वसुधा केन्द्र से भी बायोमैट्रिक तरीके से करा सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत कुछ पूर्वोतर राज्यों (जहां भू–स्वमित्व अधिकार समुदायिक है,) वनों में निवास करने वाले (वनवासी जनजातियों) तथा झारखंड के किसानों (जिनके भू–स्वमित्व के रिकार्ड भूमि हस्तांतरण के प्रतिबंधों के कारण अध्यतन नहीं हैं) के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं।
- यह योजना ऑनलाईन डीबीटी के माध्यम से लागू की गई है। इसके लिए विशेष वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in को बनाया गया है।
- किसानों को समय पर सूचना देने के उद्देश्य से पीएम–किसान हेल्पलाईन नंबर 155261/011–24300606 एवं पीएम किसान –मित्र नामक चौटबाट जारी किया गया है जो पीएम–किसान योजना की official website पर उपलब्ध है। साथ ही कृषि मंत्री द्वारा 24 फरवरी 2022 को PM - KISAN मोबाईल एप (Android संस्करण) भी लॉन्च किया गया है। इसे अधिक पारदर्शिता और अधिक किसानों तक पहुँचाने पर जोर देने के साथ विकसित किया गया है। पीएम–किसान मोबाईल एप PM - KISAN बेब पोर्टल के लिए एक सरल और कुशल विस्तार प्रदान करता है।

दिनांक 05.01.2020 तक इस योजना के तहत लगभग 1.15 लाख करोड़ रूपये दिनांक 30.11.2022 तक 1. 60 लाख करोड़ रूपये एवं दिनांक 15 नवंबर 2023 को 15वीं किस्त के रूप में लगभग 18000 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया गया है। इस योजना के तहत कुल पंजीकृत लाभार्थियों की सुची और दिनांक 27 जूलाई 2023 को जारी की गई। 14वीं किस्त (अप्रैल से जुलाई 2023) के रूप में कुल लाभार्थियों का राज्यवार विवरण तालिका–1 में दिया गया है:

तालिका 1

| क्रम संख्या | राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश | राज्यवार कुल पंजीकत किसानों की संख्या | राज्यवार 14वीं किस्त से लाभान्वित किसानों की संख्या | प्रतिशत (लगभग) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | त्रिपुरा | 221493 | 221246 | 100 |
| 02 | नागालैंड | 135378 | 135345 | 100 |
| 03 | बिहार | 7584538 | 7566324 | 100 |
| 04 | अरूणाचल प्रदेश | 68874 | 68866 | 100 |
| 05 | मध्य प्रदेश | 7646500 | 7642635 | 100 |
| 06 | लद्दाख | 14465 | 14449 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07 | पाश्चम बगाल | 4474761 | 4470798 | 100 |
| 08 | महाराष्ट्र | 8562584 | 8560082 | 100 |
| 09 | गुजरात | 4518428 | 4517823 | 100 |
| 10 | राजस्थान | 5689854 | 5688784 | 100 |
| 11 | उतराखण्ड | 760147 | 759577 | 100 |
| 12 | हरियाणा | 1539770 | 1536690 | 100 |
| 13 | उत्तर प्रदेश | 18660331 | 18653967 | 100 |
| 14 | छत्तीसगढ़ | 2030470 | 2024062 | 100 |
| 15 | हिमाचल प्रदेश | 740027 | 738113 | 100 |
| 16 | गोवा | 5668 | 5663 | 100 |
| 17 | ओडिशा | 2703331 | 2693118 | 100 |
| 18 | केरल | 2341810 | 2340980 | 100 |
| 19 | झारखण्ड | 1309129 | 1302842 | 100 |
| 20 | तमिलनाडु | 2096428 | 2095315 | 100 |
| 21 | सिक्किम | 10666 | 10617 | 100 |
| 22 | जम्मू काश्मीर | 733804 | 731494 | 100 |
| 23 | असम | 876149 | 875203 | 100 |
| 24 | मेघालय | 33389 | 33388 | 100 |
| 25 | पंजाब | 857451 | 856639 | 100 |
| 26 | दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 11531 | 11492 | 100 |
| 27 | कर्नाटक | 4965327 | 4934485 | 99 |
| 28 | तेलंगाना | 2978394 | 2950888 | 99 |
| 29 | अंडमान–निकोबार | 13235 | 13098 | 99 |
| 30 | आन्ध्र प्रदेश | 4173950 | 4135131 | 99 |
| 31 | पांडुचेरी | 8698 | 8316 | 96 |
| 32 | मिजोरम | 54621 | 50719 | 93 |
| 33 | चंडीगढ़ | 136 | 0 | 0 |
| 34 | मणिपुर | 14867 | 0 | 0 |

*(स्त्रोतः पीएम – किसान पोर्टल http:www.pmkisan.gov.in दिनांक 10.08.2023 शाम 07 बजे तक का)*
नोटः केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली एवं लक्षद्वीप का डाटा उपलब्ध नहीं है।

## निष्कर्ष एवं सुझाव

योजना की शुरूआत से लेकर अब तक पीएम किसान बेब पोर्टल पर कुल लगभग 11.7 करोड़ किसानों का सफल पंजीकरण हुआ है, जिसमें लगभग 86 प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम में राजस्थान के सिकर से 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17000 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया गया है। साथ ही देश में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए 1.25 करोड़ लाख किसान समृद्धि केन्द्रों को समर्पित किया जा रहा है। इनके जरिये किसानों को खेती से जुड़ी हर जानकारी,योजना की सुचना एवं उससे होनेवाली लाभ के बारे में बताया जाएगा। किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में पीएम–किसान योजना का योगदान महत्वपूर्ण है। यह योजना छोटे एवं सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करते हुए पूरक आय प्रदान कर रही है जिससे किसानो की उभरती जरूरतों तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात संभावित आय प्रदान होने के पूर्व होनेवाली संभावित व्ययों की पूर्ति कर रही है। किसानों के लागत के कुछ किस्सों को पूरा करने के लिए लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते मे स्थानांतरित किया जा रहा है। यह योजना किसानों कों साहुकारों के चंगुल से बचाने में भी मदद कर रही है, साथ ही खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित कर रही है। यह योजना किसानों के आय में वृद्धि कर आर्थिक स्थिति बेहतर करने के साथ–साथ उनके लिए सम्मानजनक जीवन–यापन करने का भी मार्ग प्रशस्त कर रही है। हांलाकि बहुत से पात्र किसानों को भी तकनीकी समस्याएं जैसे– आधार कार्ड, बैंक खाता, एवं भूमि दस्तावेज आदि की वजह से पात्रता सूची से बाहर होना पड़ा है, जिसे सुधार करने की जरूरत है। साथ ही कई किसान संगठनों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत एवं मंहगाई को

देखते हुए पीएम–किसान योजना की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। अतः इस पहलु पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

## संदर्भ सूची

1. भारत सरकार (2023), वार्षिक रिपोर्ट 2022–23, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार (2023), आर्थिक समीक्षा 2022–23, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. भारत सरकार (2022), वार्षिक रिपोर्ट 2021–22, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,नई दिल्ली।
4. भारत सरकार (2021), *भारतीय अर्थव्यवस्था,* एमजीग्रे हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई।
5. टीम दृष्टि (2021), *भारतीय अर्थव्यवस्था,* विडीके पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
6. रोशन, राकेश कुमार एवं निरंजन, अमित (2019), *अर्थशास्त्र,* अरिहन्त पब्लिकेशन्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. अग्रवाल, ए. एन. (1981), *इण्डीयन एग्रीकल्चर,* विकाश पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
8. कुमार, दीपक एवं फौगाट, सुनील (2021), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना का विश्लेषणः हरियाणा राज्य के विशेष संदर्भ मे, जर्नल ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर एण्ड इकोलॉजी।
9. सिंह, रमेश (2021), *भारतीय अर्थव्यवस्था,* एमजीग्रे हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई।
10. कुमार, विरेन्द्र (2021), आजादी का 75वाँ वर्ष और भारतीय कृषि, *प्रतियोगिता दर्पण,* पत्रिका अंक दिसम्बर 2021।
11. पीएम–किसान मोबाईल ऐप्स, accessed : 18-12-2023
12. पीएम–किसान पोर्टल http:www.pmkisan.gov.in, accessed : 15-12-2023

********